प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

18 दिसंबर, 2025

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास, कौशल विकास एवं उद्मिता मंत्रालय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2025 की सं. 20) आज संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। *प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना* (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है जिसे जुलाई 2015 में युवाओं की बड़ी संख्या को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2015-22 के बीच, लगभग ₹14,450 करोड़ के परिव्यय तथा 1.32 करोड़ अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण/प्रमाणीकरण प्रदान करने के संयुक्त लक्ष्यों के साथ पीएमकेवीवाई के तीन चरणों का प्रारंभ किया गया।

पीएमकेवीवाई के प्रथम चरण को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था तथा इसके दूसरे चरण से योजना को दो घटकों (क) केन्द्र प्रायोजित केन्द्र प्रबंधित (सीएससीएम) जिसमें योजना निधि तथा लक्ष्य का 75 *प्रतिशत* एनएसडीसी के माध्यम से कौशल विकास के लिए आवंटित किया गया था तथा (ख) केन्द्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित जिसमें योजना निधि तथा लक्ष्य का 25 *प्रतिशत* राज्य कौशल विकास मिशनों के माध्यम से कौशल विकास के लिए आवंटित किया गया था, के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में निम्न शामिल है (i) स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके या बेरोजगारों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है, (ii) पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल प्राप्त व्यक्तियों के लिए पूर्व शिक्षण की मान्यता योजना बनाई गई है तथा (iii) विशेष परियोजना की भूगोल, जनसांख्यिकी तथा सामाजिक समूहों के अनुसार विशेष

आवश्यकताओं के आधार पर विशेष क्षेत्रों तथा/या परिसर में प्रशिक्षण के लिए योजना बनाई गई है।

फरवरी 2023 में प्रारंभ पीएमकेवीवाई का चौथा चरण प्रक्रियाधीन है। इस प्रतिवेदन में पीएमकेवीवाई के पहले तीन चरणों को शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा एमएसडीई, एनएसडीसी तथा आठ चयनित राज्यों (असम, बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् को भी शामिल किया गया था।

प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

योजना तथा अवसंरचना

- राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यिता नीति ने 2022 तक देश में 24 क्षेत्रों में 40.29 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने की आवश्यकता का अनुमान लगाया। तथापि, नौकरी-भूमिका विशिष्ट कुशल मानव संसाधन आवश्यकता के संबंध में सूक्ष्म-स्तरीय कौशल-अंतर का अभाव था। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत क्षेत्रवार तथा राज्यवार प्रशिक्षण कौशल अंतर अध्ययनों के अनुरूप नहीं थे। इसके अतिरिक्त, कोई दीर्घकालिक पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन, नीति तथा राष्ट्रिय कौशल विकास योजना नहीं थी। **(पैरा 2.1)**

- एमएसडीई के अतिरिक्त, 22 केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारें भी अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्रों में कौशल प्रयासों में लगी हैं। तथापि, पीएमकेवीवाई के तीनों चरणों के समापन के पश्चात भी विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रयासों के बीच तथा केन्द्र तथा राज्य विभागों के बीच अभिसरण प्रभावी नहीं था। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल गुणवत्ता आश्वासन एवं विनियमन हेतु शीर्ष स्तरीय ढांचा अभी भी स्थापना की प्रक्रिया में था तथा वह केवल सीमित विनियामक भूमिका अदा कर रहा था। **(पैरा 2.2** एवं **पैरा 2.3.2)**
- नामांकन से प्लेसमेंट तक के पूर्ण पीएमकेवीवाई चक्र को एसआईपी ढांचे के भीतर सृजित किया जा रहा है। तथापि, महत्वपूर्ण डाटा/सूचना अर्थात् आयोजित प्रशिक्षण के फोटाग्राफिक/वीडियो साक्ष्य तथा प्रतिभागियों की शिक्षा/कार्य अनुभव से संबंधित

अभिलेख आदि के प्रतिधारण की नीति का अभाव था। इलेक्ट्रॉनिक पहचान/प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ता/अभ्यर्थियों के संपर्क विवरण तथा उनके खाता विवरणों के संबंध में नियंत्रण भी प्रभावी नहीं था। **(पैरा 2.4)**

कार्यान्वयन तथा उपलब्धियां

- पीएमकेवीवाई डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को दिशानिर्देशों/योग्यता पैक में निर्धारित अनकी आयु, शिक्षा, कार्य अनुभव संबंधित विशिष्ट मानदण्डों को अनदेखा करके नामांकित किया गया था। लक्षित लाभार्थियों अर्थात् बेरोजगार युवाओं तथा स्कूल/कॉलेज छोड़ने वालों को शामिल करने/सत्यापित करने का तंत्र भी उपलब्ध नहीं था। **(पैरा 3.2)**
- डाटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि कि पीएमकेवीवाई के एसटीटी/एसपी संघटक के अंतर्गत प्रमाणित कुल अभ्यर्थियों अर्थात् (56.14 लाख) में से 23.18 लाख अभ्यर्थियों (अर्थात् 41 *प्रतिशत*) को नौकरी प्रदान की गई थी। केरल में प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट के प्रमाण के रूप में गलत प्लेसमेंट दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात अभिकरण को काली सूची में डालने के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ₹ 22.33 लाख की वसूली भी की गयी थी। **(पैरा 3.6)**
- पूर्व शिक्षण की मान्यता के भाग के रूप में श्रेणी में सर्वोत्तम नियोक्ता के माध्यम से कर्मचारियों के प्रमाणीकरण को पीएमकेवीवाई के दूसरे चरण के दौरान प्रारंभ किया गया था तथा एमएसडीसी के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। आरपीएल-बीआईसीई के संबंध में अभिकरणों के चयन, प्रस्ताव की संवीक्षा, कार्यान्वयन तथा निगरानी प्रक्रिया की कई अनियमितताएं पाईं गईं थीं। एनएसडीसी द्वारा किए गए प्रशिक्षणों तथा निगरानी के समर्थन में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज अविश्वसनीय थे। **(पैरा 3.8)**

वित्तीय प्रबंधन

- राज्य घटक के अंतर्गत निधियों के निर्गम में विलंब तथा निधियों का गैर-उपयोग हुआ था। प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के उल्लंघन में निधियां जारी की गई थीं। ₹222.63 करोड़ की केन्दीय संघटक निधियों के गलत अनुमान तथा अंतरण में विलंब के

परिणामस्वरुप सीएफआई पर बोझ पड़ा। व्यय के संबंध में मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एनएसडीसी द्वारा जिला कौशल परिषदों को निधियां जारी नहीं की गई थी जो मंत्रालय द्वारा खराब निगरानी तथा पर्यवेक्षण को दर्शाता है। **(पैरा 4.1, 4.2.1, 4.2.2** एवं **4.3.2)**

- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात**,** मंत्रालय ने एनएसडीसी द्वारा रखे हुए **₹**12.16 करोड़ के ब्याज की वसूली की। इसके अतिरिक्त**,** पीएमकेवीवाई 1.0 के संबंध में**,** एनएसडीसी ने मंत्रालय से ₹24.13 करोड़ का अधिक प्रशासनिक व्यय लिया। **(पैरा 4.3.1)**

आगे की कार्रवाई

मंत्रालय ने बताया कि कौशल परिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के प्रति उठाए जा रहे विभिन्न कदमों जैसे कि पंजीकरण प्रक्रिया के समर्थन हेतु यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडाइस) डाटा को शामिल करना, नीति, फील्ड एवं डाटा स्तरों पर अभिसरण संबंधी निर्णय, अधिक राज्य/केन्द्रीय योजनाओं को शामिल करना तथा निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा योजना संबंधी डेटा की यथार्थता एवं गोपनीयता की सुरक्षा हेतु सूचना ढांचा प्रारंभ करने की सूचना दी ।

मंत्रालय ने योजना दिशानिर्देशों में कई उपाय शुरू किए हैं जैसे कि अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणित ई-केवाईसी, नाम, आयु, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर तथा बेहतर रोजगार क्षमता का पता लगाने हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के माध्यम से एक वर्ष की प्रमाणीकरण पश्चात ट्रेकिंग करना।